

(88)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1633—तीन / 2000 — विरुद्ध आदेश
दिनांक 2—5—2000 पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा
— प्रकरण क्रमांक 29 / 1999—2000 अपील

श्रीमती गुरुदीप कौर पत्नि अवतार सिंह
निवासी 49 / 22 पूर्वी पटैल नगर नई दिल्ली
हाल मुकाम 102 मेमन अपार्टमेंट 372 / 4
पोरीगाँव पाईवनाथ मैन रोड पुणे महाराष्ट्र

—आवेदक

विरुद्ध
1— राजेन्द्र सिंघानिया पुत्र महावीर
बुढ़ार तहसील सोहागपुर जिला शहडौल
2— सुश्री रोमा कुमारी पुत्री अर्जुनसिंह
ग्राम बुढ़ार तहसील सोहागपुर जिला शहडौल

—अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस०के०अवस्थी)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित—एकपक्षीय)

आ दे श
(आज दिनांक 14—09—2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 29 / 99—2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—5—2000 के विरुद्ध म०प्र०

भूराजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारांश यह है कि ग्राम हड्डया की भूमि सर्व क्रमांक 40, 41, 43 पर ग्राम की नामान्तरण पैंजी के सरल क्रमांक 4 पर आदेश दिनांक 30—3—1985 से राजेन्द्र सिंघानिया, अर्जुन सिंह, स्व. श्रीमती रूपमती,

सुश्री रोमा कुमारी का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष दिनांक 22-4-1995 को अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर ने प्रकरण क्रमांक 102/94-95 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-7-1999 से अपील समयावाह्य प्रस्तुत होने के कारण निरस्त कर दी। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 29/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 2-5-2000 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 4 पर आदेश दिनांक 30-3-1985 से किये गये नामान्तरण आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के समक्ष दि. 22-4-1995 को अपील प्रस्तुत की गई है। अपील 10 वर्ष से अधिक समय वाद प्रस्तुत होने एंव विलम्ब क्षमा करने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 19-7-99 में निम्नानुसार निष्कर्ष दिया है :-

“अपीलार्थी द्वारा नायव तहसीलदार बुढ़ार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 20 अ-6/1994-95 चलाया था जो दिनांक 30-6-97 को अदम पैरबी में निरस्त किया जा चुका है। उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा कोई अपील नहीं किया गया न ही पुर्नस्थापन हेतु कोई कार्यवाही की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त नामान्तरण की जानकारी 27-3-1995 के पूर्व नहीं होना वर्णित किया है जबकि नायव तहसीलदार बुढ़ार के प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नामान्तरण आदेश की जानकारी दिनांक 9-2-1995 के पूर्व से थी।”

अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर ने उक्तानुसार विवेचना करते हुये आवेदक की अपील समयवाहय पाकर निरस्त की है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने आदेश दिनांक 2—5—2000 पारित करते समय अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के आदेश दिनांक 19—7—99 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर व्दारा आदेश दिनांक 19—7—99 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा व्दारा आदेश दिनांक 2—5—2000 में निकाले गये निष्कर्ष समर्ती है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण क्रमांक 29/99—2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 2—5—2000 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।



(एस.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर